

1. प्रा.प.: 62/2022 "भरत पटेल बनाम रमेश"

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री नमित मेहता, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 62/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर :: 2022/254

प्रार्थी :-

भरत पटेल पुत्र कानाराम, जाति
पटेल, निवासी निम्बली पटेलान,
तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)
हाल - सरपंच ग्राम पंचायत, रोहट,
जिला पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थी :-

रमेश पुत्र नारायणलाल, जाति सुथार,
निवासी रोहट, तहसील रोहट, जिला
पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :- प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह राजपुरोहित

-: निर्णय :-

दिनांक :- 07-11-2023

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, रोहट के संकल्प संख्या 01/05.03.2018 मिसल संख्या 114/2017-18 की पालना में जारी पट्टा संख्या 020 दिनांक 11.09.2019 के विरुद्ध पेश की गई है। प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी को वक्त बहस बार-बार आवाजे दिलाई जाने पर भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से बहस एकपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टा नियम 157(1) के तहत दिया गया है जबकि उपरोक्त प्रकरण में उक्त भूखण्ड पर पुराने गृह होने का साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। जैर निगरानी पट्टा नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया जबकि जैर आराजी खाली भू-खण्ड के रूप में वर्षों से स्थित है जिसमें कभी मकान का निर्माण नहीं रहा है न ही अप्रार्थी या अन्य किसी का रहवास रहा है। नियम 148 के तहत आक्षेप आमंत्रित किये जाने की दिनांक 20.02.2018 की आदेशिका में वर्णित है लेकिन ऐसा आक्षेप नोटिस कब व कहाँ चस्था किया गया, इस बाबत नोटिस की पुस्त पर कोई वर्णन दर्ज नहीं है। ऐसा नोटिस प्रस्तावित भूमि/मकान पर दो मौतबिरानों की मौजूदगी में चस्था किया जाना और तीस दिवस का नोटिस जारी किया जाना आज्ञापक है लेकिन सात दिवस का ही नोटिस जारी किया गया है, जो विधि प्रावधानों के विपरीत है। आदेशिका में निर्णय दिनांक 05.03.2018 को होना बताया जबकि निर्णय पत्र में दिनांक 05.02.2018 को निर्णय करना दर्ज है जबकि दिनांक 05.02.2018 की मिसल दर्ज हुई थी। इस कारण निर्णय व आदेशिका दोनों ही एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। जैर निगरानी पट्टा जारी करने में मिसल दर्ज होने के एक माह से भी कम अवधि में निर्णय कर दिया जो नियम विरुद्ध जारी किया गया तथा उपरोक्त मिसल में अप्रार्थी के क्लेम के संबंध में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करवाने के संबंध में ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र पर भूमि के आराजी नम्बर व दिनांक का कॉलम भी रिक्त है। अनापत्ति प्रमाण पत्र में न तो दिनांक व न ही हस्ताक्षरकर्ता के पड़ोस अंकित है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने के संबंध में अप्रार्थी के स्व-घोषणा पत्र में भी दिनांक अंकित नहीं है व अप्रार्थी स्वयं की उम्र 35 वर्ष होना बताया है जिसके संबंध में किसी प्रकार का कोई सहायक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है। जैर आराजी पर स्थित मकान रहवासीय है या पैतृक के संबंध में भी कोई वर्णन नहीं है। अप्रार्थी के घोषणा-पत्र में न तो परिवार के कुल सदस्य व न ही उक्त घोषणा-पत्र में दर्ज गवाहान का पता व उम्र का उल्लेख किया गया है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण समिति



जिला कलेक्टर, पाली

सदस्यों के हस्ताक्षर के कॉलम रिक्त व दिनांक अंकित नहीं है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने में कायम मिसल की आज्ञाओं की सूची के क्रम संख्या 01 दिनांक 05.03.2018 को अप्रार्थी रमेश द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना बताया लेकिन रमेश के आदेशिका में हस्ताक्षर नहीं है और न ही तीन सदस्यों की कमेटी में कौन-कौन व्यक्ति लेने है नाम वर्णित है। इससे भी स्पष्ट है कि पट्टा जारी करने के बाद बनाई गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट कूटरचित है। अप्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उसका परिवार जैर आराजी पर कितने वर्षों से निवास कर रहा है के बारे में भी कोई वर्णन नहीं किया है फिर भी दिनांक 05.03.2018 प्रस्ताव संख्या 01 के द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय विधि-विरुद्ध होने से जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। जैर निगरानी पट्टे के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली द्वारा भी एक जांच कमेटी का गठन किया गया जिसमें उक्त जांच कमेटी द्वारा भी जैर निगरानी पट्टे को विधि विरुद्ध जारी होना बताया। अतः जैर निगरानी पट्टा पंचायत नियमों के विरुद्ध जाकर जारी किया है जो काबिले खारिज है। दौराने बहस भी अधिवक्ता प्रार्थी के कथन उपरोक्तानुसार रहे।

बहस एकपक्षीय सुनी जाकर उस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, पाली के आदेश क्रमांक 2914 दिनांक 30.03.2022 द्वारा जैर निगरानी पट्टे की जांच के संबंध में दो ग्राम विकास अधिकारी, एक सहायक विकास अधिकारी व एक अतिरिक्त विकास अधिकारी सहित चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। उक्त जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भी जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय कई कमियां बरती गई जैसे सरबरक फार्म पर सरपंच के हस्ताक्षर का अभाव, आवेदन पर दिनांक अंकित नहीं एवं सरपंच की मार्किंग नहीं, आवेदक के हस्ताक्षर नहीं, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बनाये गये नक्शे पर दिनांक अंकित नहीं, आवेदक के हस्ताक्षर नहीं, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर दिनांक अंकित नहीं, सरपंच का प्रमाणीकरण का अभाव, स्थल निरीक्षण कमेटी गठन का अभाव एवं कार्यवाही रजिस्टर में लेखन का अभाव, कमेटी के तीन वार्ड पंचों के स्थान पर एक या दो वार्ड पंचों के हस्ताक्षर पाये गये, आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस नियम 148 पर नोटिस चस्था करने के लिए दो मौतविरानों के हस्ताक्षर का अभाव, आक्षेप आमंत्रित करने की नोटिस की म्याद एक माह से कम, पंचायत बैठक कार्यवाही की फोटोप्रति से मिलान किया गया जिसमें कार्यवाही में प्रस्ताव लिये हुये है लेकिन उक्त बैठक कार्यवाहियों को बन्द करने का अभाव पाया गया, कार्यवाही समाप्ति उपरान्त किसी के हस्ताक्षर होना नहीं पाया गया, अधिकांश मिसलों में दो गवाहों के बयानों का भी अभाव पाया गया, मिसलों में पटवारी की रिपोर्ट संलग्न नहीं होने से भूमि किस्म का भी ज्ञान नहीं हो रहा है, भूमि विक्रय विलेख नियम 157 (1) के तहत जारी किया हुआ है जो पुस्तैनी रहवासीय मकान के लिए जारी किया जाता है, परन्तु मौके पर वर्तमान में रहवास नहीं है। जांच कमेटी द्वारा निष्कर्ष दिया कि जैर निगरानी पट्टा नियम 157 (1) के अन्तर्गत जारी किये गये है, जो खाली जमीन पर जारी किये गये है, जबकि नियम 157 (1) के अन्तर्गत निर्मित मकानों के पट्टे जारी करने का प्रावधान है, साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार मिशलों में अधिकांश पूर्तियां करने का अभाव पाया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत रोहट द्वारा पंचायत राज नियमों के प्रतिकूल पट्टे जारी किये गये है, जिससे ग्राम पंचायत को राजस्व हानि हुई जिसके लिए तत्कालीन सरपंच एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का मनन करने पर यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन पंचायत/सरपंच द्वारा उक्त पट्टा जारी करने में गंभीर अनियमितताएं बरती गई है तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 140 से 160 की अक्षरशः पालना नहीं की गई है। उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रथम-दृष्ट्या जैर निगरानी पट्टा नियम विरुद्ध जारी किया हुआ प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, रोहट




3. प्रा.प.: 82/2022 "भरत पटेल बनाम रमेश"



के संकल्प संख्या 01/05.03.2018 मिसल संख्या 114/2017-18 की पालना में जारी पट्टा संख्या 020 दिनांक 11.09.2019 को खारिज किया जाता है साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली को यह भी निर्देशित किया जाता है कि तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य संबंधित के विरुद्ध 15 दिवस में सी.ए. नियम/सुसंगत नियमों में कार्यवाही करते हुए जैर आराजी का कब्जा ग्राम पंचायत को सुपुर्द किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 07-11-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(भमित मेहता)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली